शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1697/8–3–13–69विविध/12

प्रेषक,

पी0एन0 यादव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2013

विषयः उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभागों की अधिकाधिक सेवाओं को आच्छादित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग के पत्रांक 287/91–2013 दिनांक 29.08.2013 के साथ संलग्नक–1 पृष्ठ–5 की संलग्न प्रति का अवलोकन करना चाहें, जिसमें जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित 08 सेवाओं जिनमें आवेदन की तिथि प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील के निस्तारण की समय सीमा निम्नवत निर्धारित की गयी हैः–

सेवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
		आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1.	स्वंय सेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा संचालित गोशालाओं का पंजीकरण पर निर्णय।	7 days	30 days	15 days
8	(i) आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णयः– (अ) Group Housing (ब) एकल भवन	 90 days 30 days	 30 days 30 days	 15 days 30 days
	(ii) गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय	90 days	30 days	15 days
	(iii) सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय।	60 days	30 days	15 days
	(iv) सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय।	15 days	30 days	15 days
	(v) आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय।	10 days	15 days	15 days
	(vi) भवनों के शमन पर निर्णय।	60 days	30 days	15 days
	(vii) भूखण्ड/भवन को फ्री–होल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)	15 days	15 days	15 days
	(viii) आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय	7 days	7 days	7 days

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित 08 सेवाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अंकित तालिका में निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पी0एन0 यादव)
अनु सचिव।

M.GO.(2)

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निदेशक आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश की प्रति समस्त अभिकरणों को फैक्स के माध्यम से प्रेषित करते हुए आवास बन्धु की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग को उनके पत्रांकः 287/91-2013 दिनांक 29.08.2013 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ।
3. गाड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 यादव)
अनु सचिव।

M.GO.(2)

संख्या 2825 /आ0-1-2013

उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभागों की अधिकाधिक सेवाओं को आच्छादित करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.08.2013 को सांय 4.00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उपरोक्त बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थित विभागों की सूची संलग्नक (ii) के रूप में संलग्न है।

(2) बैठक में हुए निर्णय अनुसार वाणिज्य कर विभाग/मनोरंजन कर विभाग/गृह विभाग/उच्च शिक्षा विभाग एक सप्ताह में लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को पुनः स्पष्ट प्रस्ताव (फ्रेश प्रपोजल) भेजेंगे। इन प्राप्त प्रस्तावों पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक कर निर्णय लिया जायेगा।

(3) बैठक में प्रस्तुत एजेन्डा सूची–I, II व III में अंकित जिन प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है, उनका विवरण संलग्नक I में अंकित है। तद्नुसार विभागों की सेवाओं को उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 से आच्छादित करने हेतु लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(4) बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि चूंकि जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 जो विधायी अनुभाग–1 के संख्या–308/79–वि–1–11–1(क)4–2011, दिनांक 04 मार्च, 2011 द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रदेश में प्रभावी है, अतः उसके प्राविधान संलग्नक– I में दी गयी सेवाओं पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

29-08-13

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

3000/10/13
सचिव
30-08-13
3783/SH/13
V.S.(A)
02-9-2013

1176/VS(A)/13
JS(SJC)/501

(अभय)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन
उत्तर प्रदेश शासन

शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

R.C (श्री अनिल)
कृपया पत्र सं0 69 विविध/12 (R.N-1285) के साथ तत्काल प्रस्तुत करें।
09/13

04/9/13
आवास-3
04/9/13
05/09

उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग
संख्याः 287/91—2013
लखनऊ : दिनांकः 29 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
29-08-13
(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

संख्या – /91–2013, दिनांक अगस्त, 2013 का संलग्नक–I

क0 सं0	विभाग	सेवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
				आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
13.	पशुधन विभाग	1	स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा संचालित गोशालाओं का पंजीकरण पर निर्णय	7 days	30 days	15 days
14.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	8	(i) आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय :– (अ) Group Housing (ब) एकल भवन	 90 days 30 days	 30 days 30 days	 15 days 30 days
			(ii) गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय	90 days	30 days	15 days
			(iii) सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय	60 days	30 days	15 days
			(iv) सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय	15 days	30 days	15 days
			(v) आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय	10 days	15 days	15 days
			(vi) भवनों के शमन पर निर्णय	60 days	30 days	15 days
			(vii) भूखण्ड/भवन को फीहोल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)	15 days	15 days	15 days
			(viii) आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय	7 days	7 days	7 days
15.	कृषि विभाग	4	(i) उर्वरक विकय प्राधिकार पत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 days	30 days	15 days
			(ii) बीज विकय प्राधिकार पत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 days	30 days	15 days
			(iii) कृषि रक्षा रासायन लाइसेंस प्रपत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 days	30 days	15 days
			(iv) मृदा परीक्षण का परिणाम देना	45 days	30 days	15 days
16.	प्राविधिक शिक्षा	5	(i) सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय पेंशन/ग्रेच्युटी व अन्य देयों के भुगतान पर निर्णय	60days	30days	30 days
			(ii) सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान पर निर्णय	30days	30 days	15 days

29-08-13